

Order No:- 82L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)  
18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**


माननीय सांसद **Shri Giridhari Yadav** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 79 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	NANDANI RAJ	SH. SHIVNANDAN KUMAR DAS MOB- 8292921357	2	BANKA
2	VIVEK KUMAR	SH. ASHOK YADAV MOB- 8102035534	2	BANKA
3	RAJNISH KUMAR	SH. JAYKANT PRASAD YADAV MOB- 7739068109	6	BANKA
4	SRISHTI RAJ	SH. YOGESH PRASAD YADAV MOB- 9308185076	1	BANKA
5	RUDRA KUMAR JAISWAL	SH. SANJEEV KUMAR JAISWAL MOB- 8084653791	5	BANKA
6	SUDHANSHU SEKHAR	SH. SAMBHU SARAN MOB- 9801199804	7	BANKA
7	SAANVI SINGH	SH. SAURAV KUMAR MOB- 7827295358	1	BANKA
8	RUPESH KUMAR	SH. NUNESWAR YADAV MOB- 7703902862	8	BANKA
9	VIVEK KUMAR	SH. SANTOSH YADAV MOB- 6203171763	7	BANKA
10	ANANYA GUPTA	SH. KUNAL KISHOR MOB- 8340653593, 9431689030	1	BANKA

कृ. पृ. उ.  
09/07/21

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Shri Giridhari Yadav माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, PATNA संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)